

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2130 / 2016 / जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, अजमेर
बनाम

अपीलार्थी

मैसर्स एस.जे.एण्ड एस.पी. फैमिली ट्रस्ट,
कानोता, जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर.के.अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....विभाग की ओर से

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 06.08.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 265/वैट/2014-15/अजमेर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 01.03.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित आदेश दिनांक 17.11.2014 में आरोपित शास्ति रूपये 17,67,582/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 13.11.2014 को वाहन संख्या RJ-01/GA 9927 को परबतपुरा बाईपास रोड़, अजमेर पर जांच हेतु रोक गया। वक्त जांच वाहन में "जसवंत छाप स्पेशल टेलीफोन बीडी-750 पिटारा" परिवहनित पाया गया। उक्त माल के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक ने प्रत्यर्थी द्वारा मैसर्स महालक्ष्मी बीडी ट्रेडिंग कम्पनी, उदयपुर को जारी बिल क्रमांक 87/13.11.2014 इसके अतिरिक्त मैसर्स महालक्ष्मी बीडी ट्रेडिंग कम्पनी, उदयपुर को लिखा पत्र, मैसर्स ओरियंट मेलस्पीड ट्रांसपोर्ट सर्विस की कानोता, जयपुर से उदयपुर के लिये बनायी गयी जी.आर. क्रमांक 15619/13.11.2014, प्रत्यर्थी द्वारा जारी घोषणा क्रमांक के/44 दिनांक 13.1.2014 जांच हेतु प्रस्तुत किये। जांच अधिकारी ने पाया कि दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि प्रस्तुत बिल इसका क्रमांक बदला गया है, बिल की दिनांक एवं कीमत आदि में काट-छाँट व परिवर्तन किये गये हैं अतः उक्त आधार पर संदेहास्पद होना अवधारित कर, उक्त को दोबारा प्रयोग में लेना मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया।

31



निरन्तर.....2

3. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि परिवहनित माल से संबंधित समस्त संव्यवहार उनकी लेखा पुस्तकों में दर्ज है तथा दस्तावेजों में कोई काट-छाँट नहीं की गयी है बल्कि गलती से अंकित दिनांक को मात्र सुधार किया गया है। इस तरह किसी भी गलती को दुरुस्त करने से दस्तावेज कूटरचित नहीं हो जाता है। उन्होंने कथन किया कि बिलों पर अंकित गलत क्रमांक को प्रिंटर द्वारा ही दुरुस्त किया गया है उससे बिल कूटरचित नहीं हो जाता है। उन्होंने आगे कथन किया कि उक्त बिलों में न तो कोई duplicacy की गई है तथा न ही इसमें कोई कटिंग या ओवर-राइटिंग की गई है। केवल दस्तावेज की त्रुटि को सुधार किया गया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के अंतर्गत शास्ति का आरोपण इसलिये किया गया है कि परिवहनित माल के बिल संख्या एवं दिनांक में तथाकथित रूप से कतिपय काट-छाँट पायी गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध बिल की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बिल संख्यांक पुरानी Block printing पद्धति से प्रिन्ट करवाये गये है तथा प्रश्नगत बिल संख्या 87 में पूर्व में प्रिन्टेड संख्यांक 86 को काटकर इसके ऊपर की तरफ संख्यांक 87 प्रिन्टेड है, अतः स्पष्ट है कि यह प्रत्यर्थी द्वारा की गई काट-छाँट नहीं है तथा अपितु यह प्रिन्टिंग प्रेस के स्तर पर ही किया गया सुधार है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दूसरा आक्षेप यह लिया गया है कि प्रस्तुत बिल में अंकित दिनांक में भी काट-छाँट कर दिनांक में परिवर्तन किया गया है, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध संदर्भित बिल एवं बिल्टी की फोटो प्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इनमें अंकित तिथि 13.11.2014 के स्थान पर पूर्व में 13.12.2014 अंकित थी अर्थात् चालू माह नवम्बर (11) के स्थान पर आगामी माह दिसम्बर (12) सम्भवतः त्रुटिवश लिख दिये जाने के कारण 12 के स्थान पर सुधार करते हुए 11 अंकित किया गया है। चूंकि मूल रूप में अंकित दिनांक का माह भूतलक्षी (relating to the next month) था, अतः यह सम्भावना नहीं बनती है कि पूर्व की तारीख के जारी बिल में काट-छाँट कर इसका पुनः प्रयोग किया गया हो।


31

[Handwritten Signature]

निरन्तर.....3

7. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कर निर्धारण अधिकारी को यह संदेह था कि बिल में काट-छाँट होने के कारण प्रस्तुत बिल का पुनः प्रयोग किया गया है, तो उसे प्रत्यर्थी की बिल बुक से बिल संख्या 86 एवं अन्य बिलों की भी जांच करनी चाहिए थी तथा जांच के पश्चात यदि यह पाया जाता कि प्रस्तुत बिल संख्या 87 सिरियल संख्यांक में जारी नहीं है या कि पूर्व में जारी बिल संख्या 86 पर ही काट-छाँट करके इसका संख्यांक 87 किया गया है, तो ही शास्ति आरोपण संबंधी कार्यवाही अपेक्षित थी। पत्रावली पर ऐसी कोई जांच किये जाने या ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, अतः मात्र hypothetical presumption के आधार पर इसे करवंचना मानना उचित नहीं है।
8. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी द्वारा इंश्योरेन्स के उद्देश्य से दिया गया एक चालान-नुमा Declaration भी बिल, बिल्टी के साथ में विद्यमान था जिसमें बिल नं० 87 दिनांक 13.11.2014 माल की मात्रा, माल का मूल्य, बिल्टी संख्या एवं दिनांक तथा ट्रक संख्या भी अंकित है।
9. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात उक्त दस्तावेज अपूर्ण होने या धारा 76(2) का उल्लंघन होने अथवा मिथ्या या कूटरचित होने के कोई प्रमाण या आधार नहीं पाये जाते हैं, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया शास्ति आरोपण अनुचित व अविधिसम्मत पाये जाने से अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे अंपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।
10. इस संबंध में यह टिप्पणी किया जाना समीचीन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निहायत ही unprofessional तरीके से प्रकरण में बिना कोई अपेक्षित जांच किये ही यह निर्णय कर लिया गया कि प्रस्तुत बिल, बिल्टी का पुनः प्रयोग करते हुए करवंचना की गई है जबकि प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति से ऐसा परिलक्षित नहीं होता है। द्वितीयतः, जहां शास्ति की राशि प्रतीकात्मक न होकर भारी रकम (huge amount) हो तो जांच अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी का यह अतिरिक्त दायित्व होना चाहिए कि वह प्रकरण की विस्तृत एवं भलीभांति जांच करते हुए आरोपों को साबित करने का पूरा प्रयास करे, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी किसी भी जांच का नितान्त अभाव पाया जाता है।
11. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है तथा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
12. निर्णय सुनाया गया।


 06.08.18
 (ओमकार सिंह आशिया)
 सदस्य


 06/08/18
 (राजीव चौधरी)
 सदस्य